



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 25.02.2026

थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाना दोघट के मु0अ0सं0 224/25 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 शातिर गौकश अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस सैल



बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना दोघट के मु0अ0सं0 224/25 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 शातिर गौकश अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरशद पुत्र शाहिद निवासी ब्रह्मपुरी सीलमनगर थाना न्यू उस्मानपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ।

नोट- उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय- दिनांक 24-02-2026 को उपरोक्त अभियुक्त ब्रह्मपुरी न्यू उस्मानपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम जनपद बागपत।
- 3-उ०नि० श्री कृपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-उ०नि० श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत।
- 5-उ०नि० श्री पुष्पराज विश्वाई थाना रमाला जनपद बागपत।
- 6-है०का० 819 दोसेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 7-का० 478 अजीत कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

